

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 11 मई, 2018

विषय:- दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 'दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के प्रभावी होने के फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से संचालित 'सहकारिता सहभागिता योजना' को, समाप्त किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-233/2005/XIV-1/2005, दिनांक 28 अप्रैल, 2005 द्वारा सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बीपी0एल0 परिवारों के कृषकों को फसली/ कृषि ऋण के साथ ही कृषियेत्तर ऋण यथा कृषि निवेश, औद्योगिक, डेरी विकास, पशुपालन हेतु 5.00 से 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण अनुमन्य किये जाने के उद्देश्य से राज्य में वर्ष 2005-06 में सहकारिता सहभागिता योजना प्रारम्भ की गयी थी। यद्यपि शासनादेश संख्या-1160/XIV-1/2015-5(19)2010 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा उक्त योजना की अवधि को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के लिए विस्तारित की गयी है।

2- राज्य में कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान में लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हाल्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी-बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, फिशरी, मशरूम इत्यादि में कलस्टर विकसित कर कृषकों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1295/XIV-1/17-5(19)2010, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2017 से "दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना" प्रारम्भ किये जाने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत ₹1.00 लाख तक का अल्पकालीन/ मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिशत ब्याज की दर से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है, ऐसी स्थिति में आलोच्य वर्ष 2005-06 से राज्य में संचालित "सहकारिता सहभागिता योजना" को जारी

रखे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, चूंकि दोनों योजनाओं के लाभार्थी एक ही हैं, तथा दो योजनाओं में दो भिन्न-भिन्न दरों पर ऋण वितरित किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। अतः उक्त योजना में Duplicacy/ Overlapping होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 'दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना' प्रभावी होने के फलस्वरूप आलोच्य वर्ष 2005-06 से संचालित "सहकारिता सहभागिता योजना" को तत्काल प्रभाव से एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या:- 613 / (1) / XIV-1/18-05(19)2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल पौड़ी/ नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
9. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)

संयुक्त सचिव।